G 68

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

TREASURY OFFICE
GHAZIABAD

12 MAR 2018

रु. 100

Chief Treasury Officer

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 640686

तहसील बार एसोसिएशन रजि० गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 28 माह मार्च वर्ष 2018 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited

Director

क्रम सं0 (47) स्टाम्प विक्रय की तिथि 26/3/18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता SKG HOMES (P) LTD GH-1 Sec-13 Vasundhra Ghaziabad UP
स्टाम्प की धनराशि 100/-
ला0नं0-472 लाईसेन्स की अवधि 31-03-2018
शोभा रावत स्टाम्प विक्रेता
दु0 नं0-जी0एस0-64, सै0 16A, वसुन्धरा कॉम्पलैक्स
वसुन्धरा, गाजियाबाद
Shobha

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 382166400 स्टाम्प शुल्क- 100 बाजारी मूल्य - 382166400 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 20100

श्री मैसर्स एस के जी होम्स प्रा लि द्वारा
पीयूष गुप्ता अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री सुरेश गुप्ता
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 1007 अरुणांचल बिल्डिंग बाराखम्बा रोड नई दिल्ली

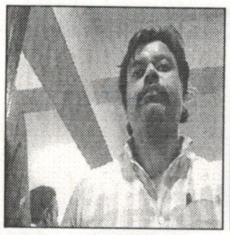

श्री, मैसर्स एस के जी होम्स प्रा लि द्वारा पीयूष गुप्ता अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 28/03/2018 एवं 05:15:14 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार अस्थाना
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
गाजियाबाद

उप निबंधक सदर चतुर्थ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर गाजियाबाद तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में वसुन्धरा नामक मुहल्ले के **सैक्टर–13** में स्थित **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–13/जी0एच0–1** का कुल मूल्य है और चूँकि उक्त परिषद ने **रू0–38,21,66,400.00 (रू0–अडतीस करोड इक्कीस लाख छियासठ हजार चार सौ मात्र)** जिसका आधा **रू0–191083200.00 (रूपया उन्नीस करोड, दस लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र)** होता है, उक्त भूखण्ड का किराया किस्त कय अनुबन्ध **रू0–2,67,51,700.00 (रूपये दो करोड सडसठ लाख इक्कयावन हजार सात सौ मात्र)** के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय उप निबन्धक (चतुर्थ) गाजियाबाद के बही नं0 **1** जिल्द नं0 **20463** के पृष्ठ **1 से 2146** कमांक **11882** पर दिनॉक **3.4.2012** मे पंजीकृत है के प्रतिफल स्वरूप उक्त **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–13/जी0एच0–1** को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूँकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में

(पी0 के0 उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited

Director

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री पी के उपाध्याय सम्पत्ति प्रबन्धक आवास विकास गाजियाबाद के द्वारा शिशुपाल सिंह लिपिक, पुत्र श्री बाबूराम

निवासी: आवास विकास गाजियाबाद

व्यवसाय: नौकरी

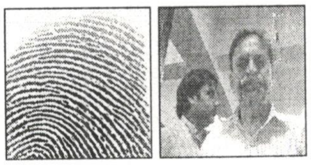

क्रेता: 1

श्री मैसर्स एस के जी होम्स प्रा लि के द्वारा पीयूष गुप्ता, पुत्र श्री सुरेश गुप्ता

निवासी: 1007 अरूणांचल बिल्डिंग बाराखम्बा रोड नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

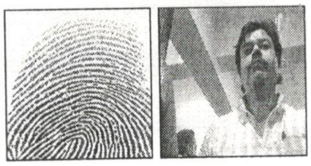

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सुरेश गुप्ता, पुत्र श्री परमानन्द गुप्ता

निवासी: एस-202 जी के -1 दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

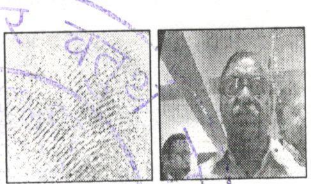

पहचानकर्ता : 2

श्री मुकेश शर्मा, पुत्र श्री हुक्म चन्द शर्मा

निवासी: ए-220 भोपुरा गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रदीप कुमार अस्थाना
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद

एक पक्ष और **मैसर्स एस0के0जी0 होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री पीयूष गुप्ता डायरेक्टर निवासी–1007 अरूणांचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001** जिसके एतद्श्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है किः–

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 35363 के पृष्ठ 235 से 266 तक क्रमांक 6768 पर दिनाँक 28/03/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार अस्थाना
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद

उप रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

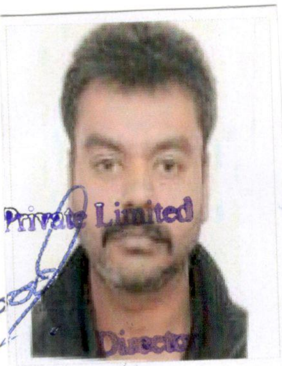

For SKG Homes Private Limited
Director

[4]

वर्णित निबन्ध और शर्तो के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब **रू0–38,21,66,400.00 (रू0–अडतीस करोड इक्कीस लाख छियासठ हजार चार सौ मात्र)** धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन परिषद् एतद् द्वारा वसुन्धरा योजना में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–13/जी0एच0–1** जिसे नीचे दीगई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा घृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है :–

1– परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विकय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2– एतद् द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

3– उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया गया, अथवा किया जाना है।

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
★ उत्तर प्रदेश ★

4– इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसको उपभोग करेगा।

5–यदि इच्छुक केता एतद द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक केता को युक्तियुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूति करेगी।

6–उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित **ग्रुप हाउसिंग** भूखण्डो और मकानों के इच्छुक केताओं को नीलामी पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:–

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★
सत्यमेव जयते

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई दावा इस संबंध में स्वीकार्य होगा।

ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** योजना के लिए किया जाएगा।

7– उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देन दार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों, जल

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★

सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–13/जी0एच0–1** पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को **19 प्रतिशत (उन्नीस प्रतिशत)** की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8– पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विकय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/ करेगी।

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★

सत्यमेव जयते

9– इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–13/जी0एच0–1** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10–केता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

11– **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** पर आवासीय प्रयोग अनुमन्य होगा।

12– शासन/परिषद के **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** सम्बन्धी किये गये प्राविधानो के अधीन विकय विलेख निष्पादित किया जा रहा है, जो कि केता को मान्य होगें।

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★

सत्यमेव जयते

13– क्रेता द्वारा निर्मित सम्पत्ति के विक्रय पर शासन के नियमानुसार स्टाम्प देयता का दायित्व सम्बन्धित पक्षकारो का होगा।

14– परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से **05 वर्ष** है।

15– **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** का **एफ0ए0आर0–2.5** अनुमन्य होगा।

16– विद्युत/ट्रांसफार्मर इत्यादि का व्यय स्वयं क्रेता को वहन करना होगा।

17– **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** पर परिषद नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्मित फ्लेटो के विक्रय का अधिकार क्रेता में सन्निहित है। सम्पत्ति समस्त भारो से मुक्त है, बन्धक रखने व बेचने में स्वामी को कोई आपत्ति नहीं है।

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद * उत्तर प्रदेश *

जिसके साक्ष्य में **श्री पी0के0 उपाध्याय, सम्पत्ति प्रबन्धक** ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **मैसर्स एस0के0जी0 होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री पीयूष गुप्ता डायरेक्टर निवासी–1007 अरूणांचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001** की ओर से स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची "क"
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सीमाएं	सम्पत्ति संख्या– ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–13 / जी0एच0–1
उत्तर ...	क्षेत्रफल– 3158.40वर्ग मी.
पूर्व	पूर्व ....
दक्षिण	पश्चिम.......
पश्चिम..	उत्तर ......
	दक्षिण ....

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

For SKG Homes Private Limited
Director

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★

सत्यमेव जयते

1–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम ....

3. पता ....

2–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम ....

3. पता ....

1–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम Mukesh Sharma

3. पता A-220 Bhopra Gzb

2–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम SK GUPTA

3. पता S-202 GK-2 New Delhi

विकेता के लिए और उसकी ओर से

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
(कृते आवास आयुक्त)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते आवास आयुक्त, गाजियाबाद

केता के लिए और उसकी ओर से

For SKG Homes Private Limited
Director

1. हस्ताक्षर ....

2. नाम– मैसर्स एस0के0जी0 होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री पीयूष गुप्ता डायरेक्टर निवासी–1007 अरूणांचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001

पूर्व प्रलेख संख्या 11882 सन 2012 पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क धनराशि रु० 2675170/- इस प्रलेख पर देय स्टाम्प शुल्क में भा० स्टा० अधि० की धारा–16 के अन्तर्गत समायोजित किया गया।

सब रजिस्ट्रार चतुर्थ
गाजियाबाद

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 35363 के पृष्ठ 235 से 266 तक क्रमांक 6768 पर दिनाँक 28/03/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार अस्थाना
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
गाजियाबाद

फोटो प्रपत्र

बही नं0	जिल्द	पृष्ठ सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन दिनांक	
					पक्षकारो के फोटो

नामः—

(पी0के0 उपाध्याय), सम्पत्ति प्रबन्धक
पताः—स0प्र0 कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हॉल संख्या—एस—1, सेक्टर—16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा गाजियाबाद, (उ0प्र0) पिन नं0—201012

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

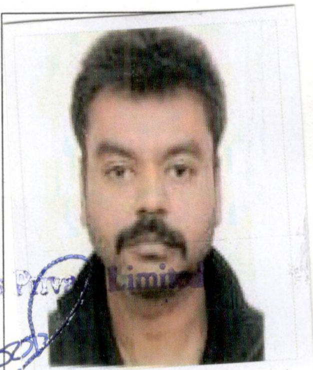

मैसर्स एस0के0जी0 होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री पीयूष गुप्ता डायरेक्टर निवासी—1007 अरूणांचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली—110001

For SKG Homes Private Limited

Director

उप सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद ★ उत्तर प्रदेश ★
सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
C.D.-1ST U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD.
VASUNDHARA YOJNA, GHAZIABAD.

SITE PLAN OF PLOT NO GH-1 IN SECTOR-13 VASUNDHARA, G.T.B.

NAME OF ALLOTTEE:- मैसर्स एस० के० जी० होम्स प्रा०लि०

ISSUED AGAINST PAYMANT VIDE

RECEIPT: O.B.C. Bank DT. 27/2/18

REG.SL.NO.

N.T.S.

N.

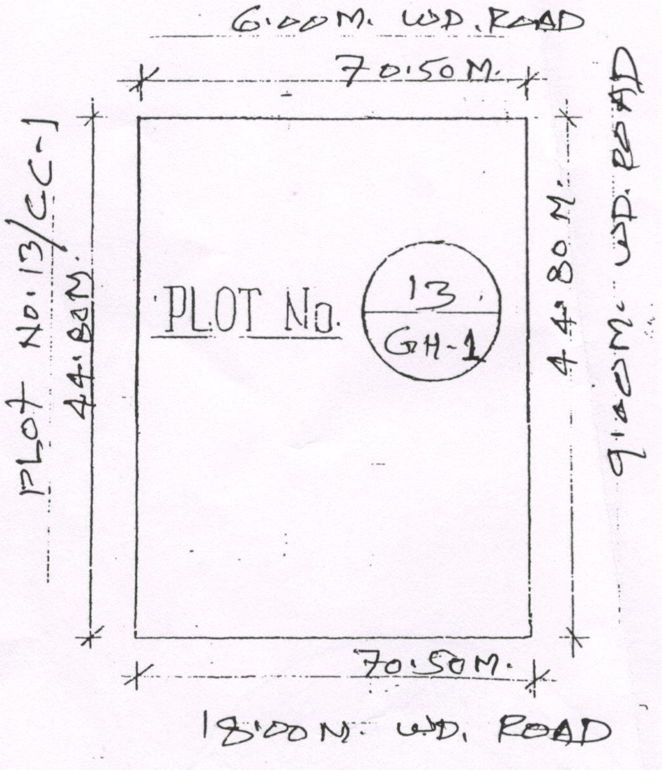

PLOT SIZE = 44.80M. X 70.50M.

PLOT AREA = 3158.40 M²

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते आवास आयुक्त, गाजियाबाद

SEAL

यह साईट प्लान रजिस्ट्री हेतु
निर्गत किया जा रहा है

For SKG Homes Private Limited

Director

28/3/18

28-3-2018

28/03/18

Assistant Engineer
C.D.-I
U.P. Avas Evam Vikas Parishad
Vasundhara, Ghaziabad

ALLOTTEE	D./M.	J.E.	A.E.

दफ्तर सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
★ उत्तर प्रदेश ★